राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/108 दिनांकः–21/10/2021

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्था,
राजस्थान।

विषयः– सत्र 2020–21 की **प्रथम काउन्सलिंग** के पश्चात् अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु अभ्यर्थियों की जोईनिंग हेतु दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग आयोजित की जा चुकी है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रतानुसार पाठ्यक्रम–महाविद्यालय आवंटित किये गये है, प्रथम काउन्सलिंग में अपनी उपस्थिति (Reporting) प्रस्तुत करने के पश्चात् अपवर्ड मूवमेन्ट के तहत् अभ्यर्थियों को **दिनांक 23.10.2021 सायंकाल 05.00 बजे** से पूर्व अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति नवीन आवंटित महाविद्यालय/संस्था में देनी होगी है। निर्धारित समय तक उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश देने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. किसी अभ्यर्थी का **Upward Movement** के तहत् किसी भी अन्य महाविद्यालय/संस्था या उसी महाविद्यालय/संस्था अन्य किसी भी कोर्स में आवंटन हो चुका है तो ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी को Upward Movement के तहत् आवंटित महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स में अपनी उपस्थिति (Reporting) संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी को पूर्व काउन्सलिंग के माध्यम से महाविद्यालय/संस्था एवं कोर्स की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेजात व फीस Upward Movement में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को पूर्व काउन्सलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था द्वारा स्वतः ही अन्तरित (Transfer) की जायेगी।
3. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के अन्तर्गत नवीन आवंटित सीट पर उपस्थिति (Reporting) नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी के समस्त मूल दस्तावेजात पूर्व आवंटित महाविद्यालय/संस्था के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को लौटा दिये जायेगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा करायी गयी फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर कौंसिल के खाते में जमा कराया जायेगा।
4. यदि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लिया जाता है तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था में उपस्थिति (Reporting) करता है तो कौंसिल द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की फीस को अभ्यर्थी के उपस्थिति (Reporting) करने के उपरान्त तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित महाविद्यालय/संस्था को अन्तरित (Transfer) कर दिया जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लेता है, अभ्यर्थी तृतीय काउन्सलिंग आवंटित महाविद्यालय/संस्था में भी उपस्थिति (Reporting) नहीं करता है या कोई भी महाविद्यालय/संस्था आवंटन नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस पुनःसंदाय नहीं (Not Refundable) है।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021/109 दिनांकः–21/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. परीक्षा नियत्रंक, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार